

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत तहसील बनेड़ा

प्रकरण संख्या : 53/2014 राजस्व वाद

अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

वास्ते :- तहसीलदार बनेड़ा

विषय:- परिवाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए

उनवान

1 श्रीराम पिता लालू गुर्जर निवासी मूशी, तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा

—प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता मगना जाट निवासी कहारो का खेडा, मूशी तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा
2. छोटू पिता देवा कहार निवासी कहारो का खेडा, मूशी तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा
3. सत्यनारायण पिता श्रवण गुर्जर निवासी कहारो का खेडा, मूशी तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा
4. लादू पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारो का खेडा, मूशी तहसील बनेड़ा भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक 25.05.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 10.11.2014 को एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगणसंख्या-1 लगायत 4 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम मूशी प0हल्का मूशी में वादीगण के नाम पर खाता संख्या 548 के आ. सं. 3061/822 रकबा 5-00 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है। जिसकी वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश लेकर दिनांक 27.05.2013 को भू अमिलेख निरीक्षक से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात पर 0-05 बीघा पर भैरू पिता मगना जाट निवासी मूशी, 0-03 बीघा पर छोटू पिता देवा कहार तथा 03-00 बीघा पर लादु पिता नन्दा कुमावत निवासी कहारों का खेडा मजरा मूशी भू भाग पर अवैध कब्जा है। जिसका कब्जा सिपुर्द करने से प्रतिवादीगण इंकार कर दिया है। अतः वादीगण को उसकी 03-08 बीघा का कब्जा सिपुर्द किया जावे

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी को बावजूद सूचना निममित पेशीयों पर अनुपस्थित पाया गया। इसी


दौखन राजस्व लोक अदालत -2016/केम्प कोर्ट का आयोजन नियत होने से उक्त प्रकरण में सभी पक्षों को सूचना पत्र जारी कर केम्प कोर्ट आमा में तलब किया गया। केम्प कोर्ट आमा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायात 4 उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार बनेडा, भु0अ0निरीक्षक उपरेडा से नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल नित्तल है।

3. वादी को सुना गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि की पत्थरगद्दी उनकी नौजूदगी में कराई जाने की स्थिति में वादी के हक एवं खाते की भूमि पर यदि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना पाया गया तो उस भू भाग से अपना अतिक्रमण हटा कर वादीगण को कब्जा स्वयं के खर्चे पर सिपुर्द किये जाने नाफिक डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 183, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम मूशी पटवार मण्डल मूशी में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 3061/822 रकबा 5-00 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से उनके स्वयं के खर्चे पर वादीगण को सिपुर्द किया जावें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 25.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (संजय माथुर)
 उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
 जिला भीलवाड़ा